

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 2160 /समेकित मार्ग/17826/2016, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 15, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : उपशा द्वारा पुखरायों-घाटमपुर-बिन्दकी मार्ग (एस0एच0-46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहात में किमी0 0 से 21.000 तक 20.631 हे0 संरक्षित वनभूमि व उस पर अवस्थित 2026 वृक्षों के पातन, कानपुर नगर में किमी0 22.000 से 54.000 तक 29.586 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 2889 वृक्षों के पातन एवं फतेहपुर में किमी0 55.000 से 82.220 तक 25.3065 हे0 संरक्षित वनभूमि व उस पर अवस्थित 6743 वृक्षों के पातन कुल 75.5235 हे0 वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 11658 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/44/2017/एफसी/141, दि0 14.08.2017,
भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/44/2017/एफसी/751, दि0 09.01.2018,
उ0प्र0शासन का पत्रांक-भा0स0-147/14-2-2017-800(52)/2017, दि0 16.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दि0 14.08.2017 द्वारा इंगित सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव की प्रतियाँ शासन को वापस उपलब्ध कराने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे। इंगित सूचनायें पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी से अपेक्षित थीं।

उक्त के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर के पत्रांक-3139/14-1, दिनांक 04.01.2018 द्वारा बिन्दुवार सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं। अतः उक्त पत्र व प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 2160 / , उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 2- वन संरक्षक, इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, कानपुर नगर, कानपुर देहात व फतेहपुर।
- 4- महाप्रबन्धक,(तकनीकी) उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, चतुर्थ तल किसान मण्डी भवन, लखनऊ।

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।